असरफ बनाम फरीद खां

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	156/2023 आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/7/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार हाजरी व उपस्थित। बहस ती० आज्ञा सुनी गई। पक्षकार उभयपक्ष व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन करने पर मुकदमा के मिसालात तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम उदयपुर गिलारिया, पटवार हल्का जयपुरा तह० सांगानेर में स्थित ख०नं० 100 रकबा 0.35 है०यू० में मौके की स्थिति बनाये रखे। पत्रावली देखकर भुगतान दिया जाये। दर्ज नम्बर से कम है, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Pr ms Adv. Makanen ji
R/ CP & report
19/10/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

वाद पत्र संख्या.....156...../2023

1. अशरफ खां पुत्र कल्लू खां
2. नईमुद्दीन खां पुत्र कल्लू खां

समस्त जाति मुसलमान समस्त निवासी ग्राम उदयपूर गिलारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

.....वादीगण

बनाम

फरीद खां पुत्र कल्लू खां

जलालुद्दीन खां पुत्र कल्लू खां

मुन्ना खां पुत्र कल्लू खां

समस्त जाति मुसलमान समस्त निवासी ग्राम उदयपूर गिलारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

साधुराम जाट पुत्र मोदूराम जाट जाति जाट निवासीः– वार्ड नं. 4, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0। हाल निवासी ग्राम उदयपूर गिलारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मान्यवर,

यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

यह कि प्रार्थीगण ने एक शीर्षकीय वाद श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया है उसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी ग्राम उदयपुर गिलारियां पटवार हल्का जयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे खसरा नम्बर 100 रकबा 0.35 है0 है जिसमे प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम प्रत्येक का हिस्सा 22/175–22/175 राजस्व रिकार्ड में दर्ज व [illegible] 1 से 3 का हिस्सा कमशः 22/175, 22/175,

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested